

आपदा प्रबंधन विभाग

आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अन्तर्गत बिहार के विभिन्न कोरंटीन केंद्रों पर रह रहे बिहार के बाहर से रेलवे, बस या अन्य साधन के द्वारा आये लोगो को सहायता राशि के रूप में रेल किराया तथा रु.500 सहायता राशि जोड़कर (देय राशि कम से कम रु.1000) दी जाएगी की दर से सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान के लिए बिहार प्रवासी मजदूर निष्क्रमण सहायता पोर्टल पर ऑनलाइन भरने का प्रपत्र

1. जिला का नाम : _____
2. प्रखंड/नगर निकाय का नाम : _____
3. पंचायत/नगर पंचायत का नाम: _____
4. नगरीय वार्ड का नाम : _____
5. कोरंटीन केंद्र का नाम : _____
6. ऑनलाइन कोरंटीन केंद्र लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन संख्या*: _____
7. लाभार्थी का आधार संख्या : _____
8. लाभार्थी का नाम * : _____
9. पिता / पति का नाम* : _____
10. क्या लाभार्थी का उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है ? (हाँ / नहीं) : _____
11. लिंग * : _____
12. मोबाइल नंबर * : _____
13. आई०एफ०एस०सी० [IFSC]*2 : _____ [11Char]
14. बैंक खाता संख्या * : _____
15. क्या लाभार्थी ने बिहार में संचालित कोरंटीन केंद्र पर 14 दिन गुजारा है | हाँ / नहीं
16. यात्रा का माध्यम (रेलवे, बस या अन्य साधन) :- _____
17. यात्रा के शुरुआत (स्थान/ रेलवे स्टेशन का नाम) :- _____
18. यात्रा की अंतिम (स्थान/ रेलवे स्टेशन का नाम) :- _____
19. अगर यात्रा रेलवे से की गयी है ?
 - (i) रेल यात्रा का टिकट संख्या* :- _____
 - (ii) रेलवे यात्रा का किराया* : _____
20. सहायता राशि @500/- : _____
21. कुल राशि : _____
22. देय राशि : _____

स्थान

दिनांक :

(लाभार्थी का हस्ताक्षर)

- नोट :
1. एक लाभार्थी के द्वारा केवल एक आवेदन भरा जाएगा ! बैंक खाता लाभार्थी के नाम का होना अनिवार्य है ।
 2. IFSC तथा बैंक खाता बिहार के किसी बैंक के ब्रांच का होना अनिवार्य है ।
 3. बैंक खाता नहीं होने पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से आधार संख्या के द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है ।
 4. इस प्रपत्र को केवल ऑनलाइन भरने में सहायता के लिए उपयोग करें ।